



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2026/23

—:आदेश:—

दिनांक 08-01-26

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का मौखमपुरा तथा तहसीलदार बाली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मौखमपुरा पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 66 व 51 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मौखमपुरा	66 व 51	चुनाराम पुत्र राजाराम	चुन्नीलाल उर्फ चुनाराम पुत्र राजाराम

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली  
दिनांक 08-1-2026

क्रमांक/कोर्ट/2026/ 59 - 61

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का मौखमपुरा को पालनार्थ।
3. प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र राजाराम जाति सीरवी निवासी मोखमपुरा तहसील बाली को सूचनार्थ।



पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली